राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 695/2010

रामेश्वर लाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,सचिवालय, जयपुर ।
2. मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन–2, सिविल लाईन्स जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, ड्रिलिंग एरिया, सेक्टर–8, जलपथ, मानसरोवर, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलिंग सर्किल, डब्ल्यु–8, कृषि मंडी के पास, जोधपुर।
5. अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलिंग डिविजन, सुभाष नगर, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री निर्मल उपाध्याय, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति बेलदार (हेल्पर) सह क्लीनर के पद पर कार्यप्रभारित स्तर पर हुई थी, जो आदेश दिनांक 01.12.1981 के द्वारा हुई थी। इसके पश्चात् अपीलार्थी को बेलदार/क्लीनर के पद पर नियुक्त किए जाने का आदेश दिनांक 22.07.1983 को पारित किया गया। अपीलार्थी की सेवा की गणना दिनांक 22.07.1983 से करते हुए अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, जबकि अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 08.12.1981 से सेवा की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए निम्न प्रकार से प्रार्थना की हैः–

> “(i)-by an appropriate order or directions, the respondents may kindly be directed to grant second selection scale to the appellant on completion of 18 years of service by calculating such period from the date of initial appointment in the pay scale of Rs. 4000-6000 instead of 3050-4590 while treating the appointment of the appellant to the post of Assistant from the date of initial appointment i.e. from 8.12.81

(ii)- by a further order or directions, the respondents may kindly be granted the benefits of regular pay scale, regular annual grade increments and promotions etc. from the date of the persons similarly situated to the petitioner have been granted.

(iii)- any other appropriate order or direction. which this Hon'ble Court deem just and proper be passed in favour of the appellant.

(iv)- Costs of this writ petition may kindly be allowed to the appellant."

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के आधार पर अपीलार्थी नियुक्ति की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी को नियमित रूप से बेलदार के पद पर दिनांक 22.07.1983 से नियुक्त किया था। तत्पश्चात् उसी दिनांक से सेवा की गणना करते हुए अपीलार्थी को 9 वर्षीय सेवा कर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 22.07.1992 से दिया जा चुका है। अपीलार्थी को द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रदान किया जा चुका है। अपीलार्थी की नियुक्ति की दिनांक 22.07.1983 है, जो कि अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति है। अपीलार्थी इसी दिनांक से सेवा की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

4. अपीलार्थी ने जो प्रथम नियुक्ति की तिथि हेतु आदेश दिनांक 01.12.1981 प्रस्तुत किया है उससे प्रकट होता है कि अपीलार्थी की जो नियुक्ति दिनांक 01.12.1981 को हुई थी, वह अस्थाई नियुक्ति थी, जो कार्यप्रभारित स्तर पर नियुक्ति थी। अपीलार्थी के संबंध में नियमित नियुक्ति के लिए आदेश दिनांक 22.07.1983 जारी किया गया है, यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी की जो अस्थाई नियुक्ति दिनांक 01.12.1981 को हुई थी, वह न्यूनतम वेतन 240/– रुपए प्रति माह में वेतन श्रृंखला 240–290 में दी गई थी। जबकि अपीलार्थी को स्थाई किए जाने पर न्यूनतम वेतन 350/– रुपए प्रतिमाह वेतन श्रृंखला 350–430 में दी गई थी। इस प्रकार अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति भी उच्च वेतन श्रृंखला में हुई थी। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि नियमित नियुक्ति के पश्चात ही सेवा की गणना किये जाने के आधार पर चयनित वेतनमान से संबंधित समस्त परिलाभ दिये जा सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक

03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दूओं पर अपना निर्णय दिया हैः–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect

on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

5. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवाएं मानी जानी चाहिए। यह भी माना है कि चयनित वेतनमान एवं अन्य लाभों के सम्बन्ध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारीखे नहीं हो सकती। हम पाते हैं कि अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति से पूर्व दी गई सेवाएं तदर्थ आधार पर दी गई थी। उन सेवाओं को अपीलार्थी चयनित वेतनमान के लाभ के लिए नियमित सेवा में नहीं जुड़वा सकता है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)